टेक्निकल एक्सपर्ट (डब्ल्यू.सी.डी.सी.) के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

बैठक तिथि 03.10.2015
बैठक स्थान– भूमि सुधार निगम, सभागार गोमतीनगर लखनऊ
उपस्थिति–संलग्न है

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एस.एल.एन.ए. की अध्यक्षता में डब्ल्यू.सी.डी.सी. में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों की स्क्रीनिंग के उपरान्त आई.डब्ल्यू.एम.पी. के विविध घटकों का वार्षिक तथा मासिक कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध रूप से फील्ड स्तर पर उसे पूर्ण करने के सम्बन्ध में बैठक का अयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय को अवगत कराया गया कि अभी तक स्क्रीनिंग के उपरान्त उपयुक्त पाये गये कुल 54 तकनीकी विशेषज्ञों को चिन्हित किया जा चुका है जिसमें से बदायूँ तथा गोण्डा में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा बैठक में प्रतिभाग नही किया गया है।

बैठक के दौरान तकनीकी विशेषज्ञों से विभिन्न विषयान्तर्गत किये गये विचार विमर्श के क्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देश निम्नवत् है–

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय द्वारा सर्वप्रथम प्रतिभागी तकनीकी विशेषज्ञों को अवगत कराया गया कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. के समस्त कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने है। अतः सभी तकनीकी विशेषज्ञों को कंम्प्यूटर का पूर्ण ज्ञान होना नितान्त आवश्यक है यदि किसी भी विशेषज्ञ को इसमें दक्षता नही है तो एक माह के अन्दर आवश्यक ऑपरेशनल तकनीकी में दक्ष हों। भविष्य में समस्त कार्यों के अनुश्रवण में समस्त सूचनाएं ई–मेल, फेसबुक, वाट्सएप से आदान–प्रदान की जायेंगी। इसमें फोटोग्राफ का जीओटैग तथा कॉ–ऑर्डीनेट प्राप्त करने की जानकारी आवश्यक है।
2. प्रत्येक माह में तकनीकी विशेषज्ञों का फील्ड डे निर्धारित कर दिया जाए जिससे यह फील्ड में किये जा रहें कार्यों के पर्यवेक्षण के साथ उसका प्री–रनिंग–पोस्ट फोटोग्राफ्स भी प्राप्त कर एस.एल.डी.सी. को प्रेषित कर सकें।
3. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ जनपद के प्रत्येक परियोजनाओं के विभिन्न कार्यक्रमों की कार्ययोजना 15 दिन के अन्दर तैयार कर एस.एल.डी.सी. को प्रेषित करेंगे।
4. योजना के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र में कुल गठित स्वंय सहायता समूहों में से क्रियाशील समूहों के संघों के गठन सम्बन्धित कार्यवाही करेंगे।
5. किनोवा, रागी तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त फसलों के संस्तुत प्रजातियों का प्रदर्शन/उत्पादन पी.एस.एम.ई के अन्तर्गत पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के दो–दो लाभग्राही वर्गों के फील्ड पर कराया जाना है जिसके लिए कार्यवाही 15 दिन के अन्दर सुनिश्चित करेंगे। इसी मध्य क्षेत्र आधारित नकदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जाना है जिसके लिए फसल, फल, सब्जी को चिन्हित करते हुए लाभाग्राही वर्गों की चयनित सूची तैयार करेंगे।
6. समस्त तकनीकी विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करेंगे कि पी.एस.एम.ई के अन्तर्गत किये जा रहें समस्त कार्यों का चयन हाईप्राइस वैल्यू रिर्टन के आधार पर किया जाय। फसलों की नई उन्नतशील बीजों का क्रय सुनिश्चित करायेंगे तथा इनोवेटिव टेक्निक की प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की तकनीकी ज्ञान देंगे।